

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 09/2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री केशव मालू पुत्र श्री सतीश मालू (प्रोपराईटर एवं विक्रेता), मैसर्स-कृष्णा मार्ट,
मिर्जा बावड़ी रोड़, अहिंसा विहार, मदनगंज किशनगढ अजमेर

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (V) एवं धारा 58 के तहत

उपस्थित : वकील अप्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

—: आदेश :-

दिनांक-23.01.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने Contravenes Regulation का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (V) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.06.2023 को 05.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स-कृष्णा मार्ट, मिर्जा बावड़ी रोड़, अहिंसा विहार, मदनगंज किशनगढ अजमेर पर पहुँचे श्री केशव मालू पुत्र श्री सतीश मालू मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को लोहे के टीन में रखा 10 लीटर सरसों का तेल विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान सरसों के तेल में मिलावट का शक होने पर उसमें से नमूना जाँच हेतु 2 लीटर सरसों का तेल वास्ते नमूना जाँच हेतु 240/- रूपये श्री केशव मालू पुत्र श्री सतीश मालू को नगद



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

देकर गवाह श्री मुकेश कुमार वैष्णव तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री केशव मालू को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 2 लीटर सरसों के तेल को चार प्लास्टिक की खाली बोतलों में बराबर बराबर भागों में बांटकर चार लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए-3860 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक मुचिअ/एफएसएसए/2023/9655 दिनांक 26.07.2023 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस 875/एक्ट/2023/908 दिनांक 26.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया सरसों का तेल Contravenes Regulation होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 21.03.2024 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 21.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री केशव मालू को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 23.01.2025 को वरवक्त बहस वकील अप्रार्थी एवं अप्रार्थी श्री केशव मालू स्वयं अनुपस्थित रहे। वकील अप्रार्थी व अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया सरसों का तेल Contravention of regulation no. 2.3.15(1) (b) होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन/तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री केशव मालू द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (V) के तहत विनियमों के उल्लंघन का दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में विनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री केशव मालू को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (V) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री केशव मालू को रु 100000/- (अक्षरे एक लाख रुपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 23.01.2025 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ज्योति ककवानी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक : सरिस्ता / अपर / 2025 /

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, अजमेर
- 3- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
- 4- श्री केशव मालू पुत्र श्री सतीश मालू (प्रोपराईटर एवं विक्रेता), मैसर्स-कृष्णा मार्ट, मिर्जा बावड़ी रोड़, अहिंसा विहार, मदनगंज किशनगढ अजमेर

(ज्योति ककवानी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर